

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

/निविदा सूचना/

मार्ग विभाजक में लगाये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड हेतु

क्रमांक – 1366 / भ.नि.अ.प. / न.पा.नि. / 2014

रायपुर दिनांक– 11 / 07 / 2014

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक रायपुर क्षेत्रान्तर्गत गुपवार डिवाइडर पर लगे ट्यूबलर पोल में लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी / फर्म/कंपनी जो नगरीय निकाय में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 05.08.2014 को अपराह्न 5.30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापन एजेंसी का विज्ञापन शुल्क या अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए, इस हेतु नगर निवेश एवं राजस्व विभाग, नगर पालिक निगम रायपुर से एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ एफ.डी.आर. वाले लिफाफे में डालना होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का एफ.डी.आर., निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. व कोई बकाया नहीं होने का एन.ओ.सी. रहेगा। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डारुनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एन.ओ.सी. पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। एन.ओ.सी. संलग्न नहीं होने की स्थिति में लिफाफा "ब" नहीं खोली जावेगी। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 06.08.2014 को अपराह्न 4.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	एक हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
ठेका अवधि	05 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क्र.	गुप क्रमांक	मार्ग का नाम	ट्यूबलर पोलों की संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि	अमानत राशि (20%)
1.	4(अ)	शास्त्री चौक से फाफाडीह चौक तक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	52	18500/- प्रतिपोल कुल रु. 962000/-	192400/-
	4(ब)	मेकाहारा चौक से कामधेनु चौराहा होकर नये बस स्टेण्ड मार्ग तक व मेकाहारा चौक से डेन्टल कॉलेज तक (ग्लोसाइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	19	18500/- प्रतिपोल कुल रु. 351500/-	70300/-
2.	5	अंबेडकर चौक से कटोरा तालाब रिंग रोड चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	24	11500/- प्रतिपोल कुल रु. 276000/-	55200/-
3.	6	कचहरी चौक से न्यू बस स्टेण्ड होते हुए अवन्तिबाई चौक तक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	46	17500/- प्रतिपोल कुल रु. 805000/-	161000/-
4.	7	फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक होते हुए तेलघानी नाका चौक तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	33	14500/- प्रतिपोल कुल रु. 478500/-	95700/-

5.	8	रविशंकर विश्वविद्यालय गेट से धुप्पड़ पेट्रोल पंप होते हुए जयस्तंभ चौक तक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	98	11600/- प्रतिपोल कुल रु. 1136800/-	227360/-
6.	9	जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक तक (ग्लो साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	24	16100/- प्रतिपोल कुल रु. 386400/-	77280/-
7.	11	बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक से कालीबाड़ी चौक होते हुए सिद्धार्थ चौक तक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	30	15100/- प्रतिपोल कुल रु. 453000/-	90600/-
8.	12	कालीबाड़ी चौक से महिला थाना चौक व कालीमंदिर बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक से महिला थाना चौक, महिला थाना चौक से शास्त्री चौक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	34	12800/- प्रतिपोल कुल रु. 435200/-	87040/-
9.	13	एस.आर.पी. चौक से अशोकाटावर अनुपम नगर होते हुए टी.वी. टॉवर तक (ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	55	11300/- प्रतिपोल कुल रु. 621500/-	124300/-
10.	18	साइंस कॉलेज के बाजू रोहिणीपुरम मार्ग तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	31	5000/- प्रतिपोल कुल रु. 155000/-	31000/-
11.	19	डंगनिया बाजार से सुन्दर नगर मुख्य मार्ग तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	24	5000/- प्रतिपोल कुल रु. 120000/-	24000/-
12.	20	छत्तीसगढ़ क्लब से एस.आर.पी. चौक व छत्तीसगढ़ क्लब से जल विहार नहर मार्ग तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	16	6000/- प्रतिपोल कुल रु. 96000/-	19200/-
13.	21	खम्हारडीह से कचना ग्राम रोड (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	49	5000/- प्रतिपोल कुल रु. 245000/-	49000/-
14.	22	सड्डू से कचना ग्राम रोड (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	53	5000/- प्रतिपोल कुल रु. 265000/-	53000/-
15.	23	टाटीबंध चौक से चंदनडीह मोड़ तक (सामान्य बोर्ड या ग्लो-साइन बोर्ड) बोर्ड की साइज 2'6"X4'6"	80	7000/- प्रतिपोल कुल रु. 560000/-	112000/-

टीप:- गुप का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.com से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम
रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मार्ग विभाजकों में लगे ट्यूबलर पोलों पर लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु ग्रुप क्रमांक- के लिए निविदा दर देने के संबंध में।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन कार्य हेतु निविदा क्रमांक..... जारी दिनांक ।

---000---

संदर्भित निविदा अंतर्गत विज्ञापन कार्य हेतु विभक्त ग्रुप क्रमांक- के लिए मार्ग विभाजक पर लगे हुए पोल पर लगाये जाने वाले लघु विज्ञापन बोर्ड हेतु (Lumpsum) रुपये वार्षिक (शब्दों में) वार्षिक निविदा दर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :-

मार्ग विभाजक में लगे ट्यूबलर पोलों में लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शर्तें -

1. प्रत्येक मार्ग विभाजक पर स्थापित पोल पर लघु विज्ञापन बोर्ड दोनो ओर अर्थात आगे एवं पीछे फेस में लगाया जा सकेगा।
2. मार्ग विभाजक में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड हेतु तैयार किये गये प्रत्येक ग्रुप हेतु अलग-अलग लिफाफे में निविदा दर देना होगा एवं प्रत्येक ग्रुप हेतु अलग-अलग अमानत राशि का एफ.डी.आर. आयुक्त नगर निगम रायपुर के नाम से जमा करना होगा। निविदाकार को निगम में पंजीकृत होना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति निविदा डालने से पूर्व पंजीयन/नवीनीकरण करा ले।
3. लघु विज्ञापन बोर्ड निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये साईज का प्रत्येक ग्रुप में निर्धारित सड़को पर स्थित मार्ग विभाजक पर लगे हुए पोल पर लगाये जा सकेंगे एवं इन सड़को की सूची संलग्न है।
4. सड़क सतह से लघु विज्ञापन बोर्ड का निचला हिस्सा कम से कम 9 फीट उंचा रखा जावेगा।
5. नगर निगम द्वारा निर्धारित की गई पद्धति से संबंधित ग्रुप के सड़को में स्थित मार्ग विभाजक में लगे हुए पोल की नंबरिंग करना होगा।
6. मार्ग विभाजक में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड की चौड़ाई एवं लम्बाई में बोर्ड के चारों ओर एक इंच चौड़ी रेडियम की पट्टी लगाना होगा।
7. दर स्वीकृत होने के सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने करने की कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा अनुबंध करा लेने के बाद ही विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। कार्य पूर्ण करने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा तत्पश्चात किराया प्रारंभ माना जावेगा।
8. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।
9. सभी निविदा में दर एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर 1 वर्ष का किराया अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि 2 माह के भीतर जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा कर अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु अनुबंध 5 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. प्रत्येक जोन में मार्ग विभाजकों में पोल में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। विज्ञापन बोर्ड की संख्या कम होने पर अनुपातिक दर से राशि आगामी वर्ष के किराये में समायोजित कर दी जावेगी।
12. अन्य आवश्यक जानकारी व शर्तें कार्यालयीन समय में नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
13. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।
14. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी आयुक्त नगर निगम रायपुर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।
17. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये लघु विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ-पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।
18. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी लघु विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।
19. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
20. अमानत राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।
21. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, लघु विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेंगे तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
22. अनुबंध पश्चात् लघु विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही लघु विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
23. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात् निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी द्वारा उस ग्रुप में निविदा प्रपत्र में निर्धारित लघु विज्ञापन बोर्ड (क्योस्क) की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित स्थल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में बोर्ड लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये होर्डिंग्स के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जावेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध कराना होगा तथा स्वीकृति दिनांक से एक माह का समय बोर्ड लगाने हेतु दी जावेगी तथा स्वीकृति दिनांक से एक माह पश्चात् किराया चालू माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक लघु विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का 2 गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने उस बोर्ड की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
24. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेन्सी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।
25. निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
26. यह कि अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका अर्नेस्ट मनी (एफ.डी.आर.) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
27. सीलबंद निविदाएं 02 लिफाफा पद्धति से देना होगा। लिफाफा अ में निर्धारित अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/- का डी.डी एवं लिफाफा ब में निविदा दर देना होगा। दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बंद होगा।

28. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।
29. विज्ञापन बोर्ड लगाते समय, निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एजेन्सी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ती राशि वसूल की जायेगी।
30. लघु विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत लघु विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।
31. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
32. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तों को शिथिल कर सकेंगे।
33. लघु विज्ञापन बोर्ड व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नहीं होना चाहिए।
34. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
35. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
36. होर्डिंग्स से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
37. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
38. फर्म द्वारा होर्डिंग्स में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
39. लघु विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
40. लघु विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
41. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
42. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नहीं होगा।

43. एक बार होर्डिंग्स लग जाने के बाद होर्डिंग्स की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नहीं होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा-बरसात या अन्य किन्हीं कारणों से कटे-फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि होर्डिंग्स गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
44. लघु विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
45. एजेंसी को लघु विज्ञापन बोर्ड की पूरी अवधि के लिए संपूर्ण बीमा करना अनिवार्य होगा बीमा के उपरांत उसकी एक प्रति कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के आयुक्त द्वारा होर्डिंग लगाने की लिखित अनुमति दिए जाने के 30 दिनों में प्रस्तुत करना होगी।
46. लघु विज्ञापन बोर्ड की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
47. नगर पालिक निगम, रायपुर किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष नगर निगम, रायपुर के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
48. लघु विज्ञापन बोर्ड में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम रायपुर द्वारा अनापति पत्र जारी किया जाएगा, लघु विज्ञापन बोर्ड हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।
49. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया लघु विज्ञापन बोर्ड पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम रायपुर द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।
50. फर्म को किराए पर दिए होर्डिंग्स की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत होर्डिंग्स योजना स्थल पर आयुक्त नगर निगम, रायपुर के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार-प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर प्रदर्शित करना होगा।
51. एजेंसी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
52. नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेंसी को 3 कार्य दिवसों में कारण बताया जाना होगा अन्यथा निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :-
 - (अ) पहली बार निगम उल्लंघन पर रू. 3,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
 - (ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 5,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
 - (स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

53. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लघन किए जाने की स्थिति में लघु विज्ञापन बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी ।
54. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के अधीन होगा ।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम
रायपुर